



## उच्च न्यायालय इलाहाबाद

लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1346 / 2026

सौरभ सिंह @ अश्विन सिंह

आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य माध्यम से अपर मुख्य सचिव गृह, लखनऊ

प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता

: अवनीश सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 28

माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख (रिकॉर्ड) का अवलोकन किया।

आवेदक की ओर से दायर अनुपूरक शपथ-पत्र अभिलेख (रिकॉर्ड) में लिया जाता है।

यह वर्तमान जमानत आवेदन, अभियुक्त-आवेदक ने वाद अपराध संख्या 1/2026, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के अंतर्गत, थाना- पट्टी, जिला प्रतापगढ़ में जमानत की मांग हेतु दायर की है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि गिरोह सारणी (गैंग चार्ट) में आवेदक के विरुद्ध तीन मामले दिखाए गए हैं, जिनमें उसे निचली न्यायालय से जमानत मिल चुकी है। जमानत आदेश, जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल किए गए शपथ-पत्र के अनुलग्नक-7,9 एवं 10 के तौर पर अभिलेख (रिकॉर्ड) में हैं। गिरोह सारणी (गैंग चार्ट) में बताए गए मामले के अलावा, पांच अन्य आपराधिक मामले हैं, जिन्हें ठीक से समझाया गया है तथा जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल किए गए शपथ-पत्र के अनुलग्नक संख्या 4,5, 6, 8 व 11 के तौर पर संलग्न किया गया है। आवेदक दिनांक 21.1.2026 से कारागार में है।

यह भी कहा गया है कि आवेदक, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(ख) की आवश्यक शर्तों के अनुसार वचन देने के लिए तैयार है। यह भी कहा गया है कि आवेदक के न्यायिक अभिरक्षा से भागने या साक्षियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अगर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों के मुताबिक वे ऊपर बताये गए तथ्यों पर कोई सवाल नहीं उठा सके।

इस तथ्य पर ध्यान देने के बाद कि आवेदक दिनांक 21.1.2026 से कारागार में है; आवेदक को तीनों मामलों में जमानत पर रिहा कर दिया गया है, जिनमें से एक

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

गिरोह सारणी (गैंग चार्ट) में दिखाया गया है तथा साथ ही पांच अन्य मामलों में भी जो गिरोह सारणी (गैंग चार्ट) में नहीं दिखाए गए हैं, उन्हें जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल किए गए शपथ-पत्र के संबंधित प्रस्तर में ठीक से समझाया गया है; और मामले के गुण-दोष पर कोई राय दिए बिना, मुझे लगता है कि यह आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए यह एक उपयुक्त मामला है।

तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकृत की जाती है।

आवेदक - **सौरभ सिंह उर्फ अश्विन सिंह**, जो ऊपर दिए गए वाद अपराध / प्राथमिकी संख्या में शामिल है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि हेतु एक स्वीय बंधपत्र तथा समान राशि के दो प्रतिभुओं को देने पर जमानत पर रिहा किया जाये, न्याय के हित में निम्नलिखित शर्तों के साथ :-

- (i) आवेदक विचारण (ट्रायल) के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/डराया नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से; मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई लालच, धमकी नहीं देगा या वादा नहीं करेगा, जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्य बताने से स्वयं को रोक ले या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (iv) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब साक्षी न्यायालय में मौजूद हों, तो वह साक्ष्य हेतु तय दिनांकों पर कोई स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त को न मानने पर, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का गलत प्रयोग मानकर विधि के अनुसार आदेश दे सकता है।
- (v) आवेदक को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(ख) के अंतर्गत एक वचन भी दाखिल करना होगा कि वह किसी भी मामले में शामिल नहीं होगा या जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
- (vi) आवेदक को तय की गई हर तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहना होगा। अगर वह बिना

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

किसी सही वजह के अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है।

- (vii) अगर आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में तय दिनांक को न्यायालय के समक्ष उपस्थिति नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्रवाई शुरू करेगा।

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

23 मार्च, 2026

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।